

आदेश

बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का संकल्प संख्या 1/ सी01 -13 / 2019 गृ0 आ0 10087/ पटना, दिनांक 25.11.2019 द्वारा पुलिस मुख्यालय को पुनर्गठित किया गया है। इसी क्रम में बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश सह पत्र संख्या-एल-2/ 52-05-01-2019/49, दिनांक-03.02.2020 के माध्यम से बिहार पुलिस मुख्यालय को संगठित करने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है। इसके फलस्वरूप पुलिस मुख्यालय के निम्न प्रभागों में विभिन्न कोटि के निम्न पदों की अतिरिक्त आवश्यकता है :-

| पदों का नाम | मानव संसाधन एवं विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग | मुख्यालय एवं बजट प्रभाग (पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा प्रशाखा, नवाचार एवं जनसंपर्क प्रशाखा तथा चुनाव प्रशाखा) | आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग (आधुनिकीकरण हेतु) | आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग (प्रोविजन हेतु) | कुल |
|--------------------|--|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| पुलिस उपाधीक्षक | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| प्रशाखा पदाधिकारी | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| पुलिस निरीक्षक | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| परिचारी प्रवर | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| सहायक | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| सिपाही | 6 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| लिपिक | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| कुल | 20 | 28 | 22 | 35 | 105 |

2. इस प्रकार पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक 472/एल-2, दिनांक 16.08.2019 द्वारा प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त होने के उपरान्त प्रक्षेत्रों से पुलिस मुख्यालय में स्थानान्तरित पदों एवं पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक 4092/एल-2, दिनांक 30.12.2015, ज्ञापांक 1928/एल-2, दिनांक 01.07.13 एवं ज्ञापांक 591/एल-2 दिनांक 17.01.2017 द्वारा आवंटित विभिन्न कोटि के पदों में से आवश्यकता आधारित पुलिस उपाधीक्षक के कुल 09, पुलिस निरीक्षक के 16, परिचारी प्रवर के 02, पुलिस अवर निरीक्षक के 21, सहायक अवर निरीक्षक के 04 तथा सिपाही के 38 अर्थात् पुलिस संवर्ग में कुल 90 पद तथा प्रशाखा पदाधिकारी के 03, सहायक के 09 तथा लिपिक के 03 अर्थात् गैर पुलिस संवर्ग में 15 पदों को स्तंभ- 4 में अंकित निम्न पदों का प्रत्यावर्तन स्तंभ-2 में अंकित प्रभागों में निम्न प्रकार किया जाता है:-

| क्र 0 | प्रभाग का नाम | पदों का नाम / संख्या | जिला/इकाई का नाम, जहाँ से प्रत्यार्पण किया जाना है। |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मानव संसाधन एवं विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग | पुलिस निरीक्षक-04 पुलिस निरीक्षक-06 सहायक निरीक्षक-04 सिपाही-06 | पुलिस निरीक्षक- नालंदा-01, गया-02 भोजपुर-01 पुलिस अवर निरीक्षक, नालंदा-03, औरंगाबाद-03 सहायक अवर निरीक्षक-पुलिस मुख्यालय-04 (प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त करने के उपरांत स्थानान्तरित) सिपाही-पुलिस मुख्यालय-06 (प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त करने के उपरांत पुलिस मुख्यालय में स्थानान्तरित) |
| 2 | मुख्यालय एवं प्रभाग (पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा प्रशाखा, नवाचार एवं जनसंपर्क प्रशाखा तथा चुनाव प्रशाखा) | पुलिस उपाधीक्षक-04 पुलिस निरीक्षक-06 पुलिस निरीक्षक-08 सिपाही-10 | विशेष कार्य बल-पुलिस उपाधीक्षक-04 पुलिस निरीक्षक-(पुलिस मुख्यालय-03, भोजपुर-01, रोहतास-01) पुलिस अवर निरीक्षक-भोजपुर-02, पूर्णियां-03, बेतिया-02 सिपाही-पुलिस मुख्यालय-10 (प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त करने के उपरांत पुलिस मुख्यालय में स्थानान्तरित) |
| 3 | आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग (आधुनिकीकरण हेतु) | पुलिस उपाधीक्षक-04 पुलिस निरीक्षक-06 पुलिस निरीक्षक-04 सिपाही-08 | आर्थिक अपराध इकाई-पुलिस उपाधीक्षक-04 पुलिस निरीक्षक-पुलिस मुख्यालय-06 (प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त करने के उपरांत पुलिस मुख्यालय में स्थानान्तरित) पुलिस अवर निरीक्षक-मधुबनी-04 सिपाही-पुलिस मुख्यालय-08 (प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त करने के उपरांत पुलिस मुख्यालय में स्थानान्तरित) |
| 4 | आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग (प्रोविजन हेतु) | पुलिस उपाधीक्षक-01 प्रशाखा पदाधिकारी-03 परिचारी प्रवर-02 सहायक-09 पुलिस निरीक्षक-03 सिपाही-14 लिपिक-3 | आर्थिक अपराध इकाई-पुलिस उपाधीक्षक-01 प्रशाखा पदाधिकारी-पुलिस मुख्यालय-03 (प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त करने के उपरांत पुलिस मुख्यालय में स्थानान्तरित) परिचारी प्रवर-रेल जमालपुर-01, सुपौल-01 सहायक-पुलिस मुख्यालय-09 (प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त करने के उपरांत पुलिस मुख्यालय में स्थानान्तरित) पुलिस अवर निरीक्षक- मोतिहारी-03, सिपाही-पुलिस मुख्यालय-14 (प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त करने के उपरांत पुलिस मुख्यालय में स्थानान्तरित) लिपिक-पुलिस मुख्यालय-03 (प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त करने के उपरांत पुलिस मुख्यालय में स्थानान्तरित) |

3.(i) मानव संसाधन एवं विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग में आवंटित पदों का प्रशाखाओं में वितरण पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

(ii) आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग (आधुनिकीकरण हेतु) तथा आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग

(प्रोविजन हेतु) के लिए आवंटित पदों का प्रशाखाओं में वितरण अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण) द्वारा सम्बद्ध पुलिस महानिरीक्षक से मंतव्य प्राप्त कर किया जायेगा।

(iii) मुख्यालय एवं बजट प्रभाग (पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा प्रशाखा, नवाचार एवं जनसंपर्क प्रशाखा तथा चुनाव प्रशाखा) के लिए स्थानान्तरित पदों का आवंटन सम्बद्ध अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

4. सभी संबंधित कार्यालयों के प्रधान से अनुरोध है कि वे अपने स्थापना से उक्त प्रत्यार्पित पदों को अपने कार्यालय के स्वीकृत पदों से घटा लेंगे तथा पुलिस मुख्यालय में उस कोटि के उतने ही प्रत्यार्पित पदों को अपने स्वीकृत बल में सम्मिलित कर लिया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार,

Amil Kumar
20/2/20

अपर पुलिस महानिदेशक(विधि-व्यवस्था)
बिहार, पटना।

पत्र संख्या एल-02/52-05-01-2019/.....

बिहार पुलिस मुख्यालय
(स्थापना एवं विधि प्रभाग),

पटना, दिनांक 24 फरवरी, 2020।

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक (एस0टी0एफ0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. सभी प्रशाखा पदाधिकारी /रक्षित पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Amil Kumar
20/2/20

अपर पुलिस महानिदेशक(विधि-व्यवस्था)
बिहार, पटना।